न्यायालय – पुलिस आयुक्त इंदौर
रानीसराय, रीगल स्क्वेयर, इंदौर (म.प्र.)

दूरभाष 0731–2525600 ईमेल – cp.indore@mppolice.gov.in

क्रमांक/पु.आ./इं/जिविशा/ 07 /2022 इन्दौर, दिनांक 19.01.2022

:: आदेश ::

(अंतर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973)

समाचार पत्रों एवं जनसामान्य आदि के माध्यम से यह तथ्य ध्यान में लाया गया कि इन्दौर शहर में नींद एवं ट्रंक्वेलाईजर श्रेणी की दवाईयों का उपयोग असामाजिक तत्वों द्वारा नशे के लिये किया जा रहा है। कई जघन्य एवं सनसनीखेज अपराधों में अपराधियों द्वारा इन दवाईयों का सेवन कर अपराध घटित करना पाया गया है, जिसके कारण कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। यह भी अवगत कराया गया कि इस प्रकार की सभी दवाईयॉ नियमों के विपरीत बिना रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन के ही खुले आम दुकानों से विक्रय की जा रही है। इन दवाओं का उपयोग अवैध रूप से नशे में किया जाकर, जहां एक ओर आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही है, वही दूसरी ओर इनसे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस प्रकार से नशे के दुष्प्रयोग से बढ़ रही आपराधिक प्रवृत्ति की गतिविधियों पर रोकथाम की दृष्टि से इनके क्रय–विक्रय को नियन्त्रित किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।

अतः इन्दौर नगर (मेट्रोपेालिटन) की सीमा में नींद एवं ट्रंक्वेलाईज श्रेणी की दवाईयों का उपयोग अवैध रूप से नशे के लिये कर, आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने से कानून एवं व्यवस्था तथा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव की स्थिति को रोकने व आमजन के जान–माल को आसन्न खतरा उत्पन्न होने की स्थिति को रोकने हेतु इस पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

अतः अपने अधिकार क्षेंत्र में अपराधिक गतिविधियों की रोकथाम/जनसमान्य के स्वास्थ हित/जानमाल एवं लोक शांति को बनाये रखने हेतु इन्दौर नगरीय सीमा में निम्न लिखित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ :–

1. यह कि इन्दौर नगर (मेट्रोपेालिटन) की सीमा में (1)–समस्त नाईट्राजेपाम टेबलेट्स (समस्त नाईट्रावेट टेबलेट्स). (2)–समस्त क्लोनेजेपाम टेबलेट्स, (3)–समस्त डायजेपाम टेबलेट्स, (4)–समस्त ऑक्साजीपाम टेबलेट्स, (5)–समस्त इटिजोलाम टेबलेटस, (6)–समस्त एल्प्राजोलम टेबलेटस, (7)–समस्त कोडीन फास्फेट सिरपध्टेबलेटस, (8)–क्लोजापाम टेबलेटस(फीजीयम टेबलेट आदि) का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया जावेंगा।

2. गर्भपात/गर्भसमापन संबंधित औषधियां जैसे Ru 486 , Mifepristone एवं Misoprostal व उसके ग्रुप श्रेणी की दवाओं (गोली, इंजेक्शन जेल) का विक्रय केवल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के लिखित प्रिस्क्रिप्शन पर ही किया जावेंगा एवं लिखित प्रिस्किप्शन की छाया प्रति संबंधित मेडिकल स्टोर द्वारा रखी जावेंगी ।

Scanned with CamScanner

3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एवं पदेन उप संचालक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, इन्दौर अपने अधीनस्थ औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारियों के माध्यम से नियमित एवं आकस्मिक निरीक्षण कर प्रश्नाधीन आदेश का प्रभावी परिपालन सुनिश्चित करेंगे। अनियमितता पाई जाने पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

चूंकि उक्त आदेश को जन साधारण की सुविधा के सुनिश्चित पालन हेतु तत्काल प्रभावशील किया जाना आवश्यक हो गया है। समय अभाव के कारण यह आदेश दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से पारित किया जा रहा है। फिर भी यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था या पक्ष इस आदेश में कोई छूट या शिथिलता चाहे तो उसे अधोहस्ताक्षरकर्ता के सम्मुख विधिवत आवेदन करने का अधिकार होगा, जिस पर सम्यक सुनवाई एवं विचारोपरान्त समुचित आदेश पारित किये जायेंगे।

यह आदेश तत्काल प्रभावी होगा और यदि बीच में वापस ना लिया गया तो, दिनांक 17 मार्च 2022 तक लागू रहेगा। इस आदेश अथवा इस आदेश के किसी अंश का उल्लंघन करना यथास्थिति अन्य अधिनियमों के साथ भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध है।

यह आदेश आज दिनांक 19 जनवरी 2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रांकित कर जारी किया गया है।

(हरिनारायणाचारी मिश्र)
पुलिस आयुक्त,
इंदौर,

क्रमांक/पु.आ./इं/जिविशा/ 08 /2022 इन्दौर, दिनांक 19.01.2022

प्रतिलिपि :— सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन।
2. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर।
3. अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, (कानून व्यवस्था/ अपराध एवं मुख्यालय) इन्दौर।
4. जिला दण्डाधिकारी, जिला इन्दौर।
5. समस्त पुलिस उपायुक्त इन्दौर।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर।
7. समस्त अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर।
8 समस्त अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त इन्दौर।
9. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कनाड़िया, मल्हारगंज, राऊ, जूनी इन्दौर, भिचौली हप्सी इन्दौर।
10 समस्त सहायक पुलिस आयुक्त इंदौर।
11. समस्त थाना प्रभारी, नगरीय पुलिस जिला इंदौर। प्रभार क्षेत्र में उक्त आदेश का प्रचार—प्रसार करने तथा कड़ाई से पालन कराये जाने हेतु प्रेषित।
12. उप संचालक, जन सम्पर्क इन्दौर की ओर आदेश का प्रकाशन हेतु।
13. निदेशक आकाशवाणी इन्दौर की ओर आदेश का प्रसारण हेतु।
14. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, कलेक्टर कार्यालय, इन्दौर की ओर जिला प्रशासन साईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित ।
15. प्रभारी अधिकारी, पुलिस कन्ट्रोल रूम इन्दौर।

(हरिनारायणाचारी मिश्र)
पुलिस आयुक्त,
इंदौर,

Scanned with CamScanner